न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) खैरागढ़ जिला–खैरागढ–छुईखदान–गंडई

रा.प्र.क्र. 202505290100098 / अ–62 / 2024–25

प्रारुप–ङ.
(नियम 7(2)देखिये)
अनुज्ञा

क्रमांक / 1349 / प्र–2 / अ.वि.अ.(रा.) / 2025 खैरागढ़ दिनांक 25 / 07 / 2025

प्रति,

श्री अविनाश सिंह पिता जोगेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम खैरागढ़, कास्तकार ग्राम
खम्हरियाखुर्द रा.नि.म. व तहसील खैरागढ़
जिला–खैरागढ़ छुईखदान–गंडई(छ.ग.)

विषय :– वृक्ष कटाई हेतु अनुज्ञा।

––000––

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 30.05.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 30.05.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 14.07.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:–

1. खाते में कुल वृक्षों की संख्या– 03 नग सागौन
2. खाते के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या – 0
2. खाते के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति एवं संख्या– 03 नग सागौन

आवेदित भूमि ख.न. 316 / 12 रकबा 0.0344 हे. में निम्नांकित वृक्षों को काटने की अनुसंशा की गई है।

स. कमांक	ख.नं.	वृक्ष कमांक	वृक्ष की प्रजाति	सीने की गोलाई (से.मी.)	वृक्ष की स्थिति
1	316 / 12	01	सागौन	135 से.मी.	गीला / खड़ा
2		02	सागौन	125 से.मी.	गीला / खड़ा
3		03	सागौन	145 से.मी.	गीला / खड़ा

उपरोक्त सूची अनुसार ख.न. 316 / 12 रकबा 0.0344 हे. ग्राम खम्हरिया खुर्द प.ह.न. 32 रा.नि.मं. खैरागढ तहसील खैरागढ़ स्थित उपरोक्त सूची में अंकित वृक्ष जिनकी प्रजाति 03 नग सागौन को काटे जाने पर, संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र.9 सन–1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वनोपज) नियम, 2001 का पालन नही किये जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुज्ञा, आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
खैरागढ़

पृ. क्रमांक / 1350 / प्र–2 / अ.वि.अ.(रा.) / 2025 खैरागढ़ दिनांक 25 / 07 / 2025

प्रतिलिपि:–

1. कलेक्टर जिला खैरागढ छुईखदान गंडई को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
3. वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र खैरागढ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. तहसीलदार खैरागढ को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु प्रेषित।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खैरागढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
खैरागढ़